

राजस्थान सरकार



आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 19 के
सापेक्षतापूर्वक सविमान अधिनियम प्रारम्भ के तीन
वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक झालावाड़

Email id-deoelc.jwr447@gmail.com

Fax/phone-07432-232283

कमांक-जिशिअ/प्राशि/आ/मान्यता/12/ 440

दिनांक- 31/3/2013

प्रबन्धक, राजराजेश्वरी सेवा समिति झालावाड़

राजराजेश्वरी सेवा समिति झालावाड़ (अंग्रेजी माध्यम)

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा -18 के प्रयोजन के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के उप नियम के अधीन
विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके दिनांक 31-7-11 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती

पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं झालावाड़ प्रारम्भिक शिक्षा को दिनांक 31-7-11 से दिनांक 31-7-11 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्वधीन है :-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा - 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधों का पालना करेगा।
विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलामप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा -12 (2) के उपाबंधों के अनुसार प्रतिष्ठित किया जाएगा, ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्वीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को, उसका आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध निश्चित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-
(a) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में प्रवेश में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
(b) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
(c) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
(d) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम -23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार प्रमाण -पत्र प्रदान किया जायेगा।
(e) अधिनियम के उपाबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाएगा।
(f) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा - 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जानी है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच-वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
(g) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
(h) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा -19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा - 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।
- विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- विद्यालय भवनों/अन्य संरचनाओं का कोडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और शैक्षणिक विकास के प्रयोजन के लिए किया जावेगा।
- विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1968 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा/ राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1955 के अधीन गांठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के नाम के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- विद्यालय के लेखों की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झालावाड़ को भेजी जानी चाहिए।
- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोई कमांक (जि.शि.अ.प्रा.श.आ/मान्यता/12/440/31) है। कृपया इसे नोट करें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो राज्य सरकार की निर्देशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अपेक्षित हैं और राज्य सरकार/राज्यीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकर्ता कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झालावाड़

Khushboo
अध्यक्ष

राज राजेश्वरी सेवा समिति

